



पूर्वोत्तर रेलवे
N.E.Railway

कार्यालय महाप्रबंधक (कार्मिक)
गोरखपुर-273012
Office of General Manager (P)
Gorakhpur-273012

सं० संख्या ई/329/दिव्यांग/11/2022-23


दिनांक:-24/07/2023

सभी विभागाध्यक्ष (मुसुआ एवं मुकाप्र/यां.कार. गो.को छोड़ कर)
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर ।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण ।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक/सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी ।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल ।
चिकित्सा निदेशक, लनामिरे चिकित्सालय ।
उप मुई/गोरखपुर क्षेत्र ।
उप मुविई/कालोनी ।
प्रधानाचार्य/एमएसटीसी/विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/सिगनल एवं दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र ।
प्रधानाचार्य/एन.ई रेलवे सी.से. स्कूल, एन.ई रेलवे हायर सेकण्ड्री स्कूल और एन.ई रेलवे बालिका इंटर कॉलेज ।
मंसिदूई/सूत/टेली ।
अधिशाली अभियन्ता पुल कारखाना, गोरखपुर छावनी ।
महामंत्री, एन० ई० रेलवे मजदूर यूनियन, गोरखपुर ।
महामंत्री, ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी. एसो. गोरखपुर ।
महामंत्री, पूर्वोत्तर रेलवे ओ.बी.सी. रेल कर्मचारी एसोसिएशन, गोरखपुर ।

विषय:-शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु रेल कर्मचारियों की शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग पाल्य की व्यवसायिक दक्षता को विकसित करने हेतु केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।

कर्मचारी कल्याण निधि से विषयगत निधि से विषयगत सहायता देने का निश्चय किया गया है । कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने की व्यवस्था करें। अपने अधीनस्थ कर्मचारी जिनके पाल्य शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग हो तथा व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने हेतु कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तथा उनसे संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रसारित करते हुए इस कार्यालय को दिनांक:- 31/10/2023 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि आवेदनों पर विचार कर कर्मचारी कल्याण निधि सहायता प्रदान की जा सके। एक कर्मचारी को एक वर्ष में दो विद्यार्थियों तक कर्मचारी कल्याण निधि से सहायता छात्रवृत्ति मिल सकती है ।

संलग्नक/आवेदन पत्र का प्रारूप।


(प्रदीप कुमार) 24/7/23
वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

तकनीकी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

अन्तिम तिथि:- 31/10/2023

वर्ष:- 2023-24 के लिए केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि से रेल कर्मचारियों के शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग पाल्य की व्यवसायिक दक्षता को विकसित करने हेतु कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा सहायता प्रदान किया जाना द्य (प्रमुकाधि कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि 31.10.2023 निश्चित है। उसके बाद प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा)

कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी

1. कर्मचारी का नाम
2. पदनाम
3. कार्यास्थल का पता
4. पी0बी0वेतन एवं ग्रेड पे
5. पी.एफ.संख्या
6. सेवा में नियुक्ति तिथि
7. सेवानिवृत्ति तिथि
8. छात्रध् छात्रा का नाम
9. छात्र/ छात्रा का आवेदनकर्ता से संबंध
10. कक्षा जिसमे छात्र/ छात्रा अध्यनरत हैं, एवं वर्ष
11. शिक्षण संस्था का नाम
12. क्या इस छात्र/ छात्रा के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण निधि से किसी छात्र/छात्रा को कोई सहायता प्राप्त होता है? यदि हाँ तो उसका विवरण क्र० सं० छात्र/छात्रा का नाम कोर्स का नाम स्वीकृति धनराशिए वर्ष

नोट:- विद्यालय में प्रवेश के समय जमा की गई फीस रसीद की छायाप्रति संलग्न करें ।

मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य हैं और किसी प्रकार की असत्यता प्रमाणित होने पर मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती हैं ।

दिनांक:-

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्र/ छात्रा पास नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी के आश्रित हैंए तथा कर्मचारी द्वारा भरा गया विवरण सत्य हैं ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक:-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०
पुत्र/पुत्री..... शिक्षण
संस्था के शैक्षणिक सत्र 2023-24 के कोर्स का नाम के
नियमित छात्र/ छात्रा हैं यह शिक्षण संस्थान
द्वारा मान्यता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त नहीं हैं

**नियंत्रक अधिकारी का हस्ताक्षर
मुहर सहित**

शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर
मुहर सहित

नोट. अपूर्ण आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा एक कर्मचारी **दो छात्र/ छात्रा** तक के लिए ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा । **दो से अधिक पत्र प्राप्त होने** पर विचार नहीं किया जायेगा ।